An expenditure of Rs. 2509.97 crores has been incurred on the project upto 30th June, 1993.

(c) and (d) The Narmada Control Authority and Sardar Sarovar Construction Advisory Committee set up under the provisions of Narmada Water Disputes Tribunal Award are monitoring the progress of implementation of the project in accordance with the provisions of the said Award.

Review of per capita cost norms of piped water supply

4635. DR. BAPUKALDATE: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether the State Government of Maharashtra have requested the Government to allow the State Government to apply the review per capita cost norms of the piped water supply scheme under the Minimum Needs Programme;

(b) if so, since when the request of the State Government of Maharashtra is pending approval of Government; and

(c) what is the decision, if any taken by Government therein stating the reasons for delay in giving approval to the State Government's proposal?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) to (c) Yes, Sir. A proposal was received by the Union Ministry of Rural Development from the State Government of Maharashtra in November, 1992. The Union Ministry of Rural Development called for additional information/clarification on technical matters which have been received during this month. The Ministry of Rural Development is expected to take a decision on the proposal shortly.

सरकार के पास लंबित पड़ी सिंचाई परियोजनायें

4636. **श्री कामेश्वर पासवान :** क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के लिये स्वीकृत 16 सिंचाई परियोजनायें केन्द्रीय जल आयोग एवं योजना आयोग के पास अनुमोदनार्थ लंबित पड़ी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन लंबित पड़ी परियोजनाओं को पूरा हो जाने पर 17 लाख हैक्टेयर से अधिक भूमि की सिंचाई की जा सकेगी ;

(ग) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लंबित होने के क्या कारण हैं जबकि इस राज्य में निरन्तर भीषण सूखा पड़ रहा है ; और

(घ) सिंचाई परियोजनायें किस अवस्था में लंबित पड़ी हैं और कब तक ये परियोजनायें पूरी होने की संभावना है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.के. थुंगन) : (क) से (घ) केन्द्र के पास वृहद और मध्यम परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । [**देखिये** परिशिष्ट 168, अनुपत्र संख्या 65] ।

Sharing of river water

4637. SHRI V. NARAYANASAMY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the details of the accord for sharing of river water between the five riparian States viz. Haryana, Uttar Pradesh, Rajasthan, Himachal Pradesh and Punjab have been finalised;

(b) if so, the details thereof; and

(c) whether Government are planning to form autonomous water boards to take care of all disputes among the states for sharing the water?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGON): (a) and (b) The Memorandum of Understanding allocating the utilisable surface flows of Yamuna upto Okhla has been accepted by the states of Haryana, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and the National Capital Territory of Delhi. But it has not been accepted by Rajasthan so far. Further discussions with Rajasthan are continuing.

(c) Under the River Boards Act 1956, Central Government on a request received form a State Government or otherwise, can establish a River Board for regulation or development of an inter state river or river vall y or any specified part thereof. The resolution of disputes amongst the states for sharing of water from an inter state river does not fall under the perview of such boards.

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन० पी०सी०सी०) को एक रूग्ण इकाई के रूप में घोषित किया जाना

@4638. **श्री राम सिंह राठवा** : क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन.पी.सी.सी.) अब एक रूग्ण इकाई बन चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके रूग्ण होने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इसे एक लाभ अर्जित करने वाला निगम बनाने की दिशा में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

@पूर्वत: अतारांकित प्रश्न 3799, 24 अगस्त, 1993 से स्थानांतरित ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री पी.के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम, पूर्व नेशनल प्रोजेक्टस कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, अनुत्पादक यूनिट होने के कारण रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के तहत नहीं आता है । तथापि, उपर्युक्त अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को लागू करने से इसे 31-3-91 से एक रूग्ण यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है ।

(ख) इस स्थिति के लिए उत्तरदायी मुख्य कारण ये हैं, ऊपरी खर्चों पर अनुपातिक रूप से अधिक व्यय, आर्डर बुक की निम्न स्थिति, ब्याज का भारी बोझ, कार्य जुटाने में विलम्ब तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा बकाया धनराशि का निपटान न करना।

(ग) कम्पनी के पुनरूद्धार के लिए इस मंत्रालय ने एक व्यापक योजना बनाई है। कम्पनी ने इसके साथ-साथ विभिन्न उपाय अपनाये हैं, जैसे अपने ऊपरी खर्चों को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम, इसकी जल्दी नकदी प्रवाह स्थिति को पूरा करने के लिए उन उपस्करों, जिनकी मरम्मत आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है तथा अविशेष भण्डार का निपटान, विभिन्न यूनिटों पर पूर्व निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने के विशेष प्रयास, क्षेत्र प्रभारियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रणाली ।

CWC's monitoring of potential flood situation

4639. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether there has been a functional failure on the part of Central Water Commission in properly monitoring the potential floods situation this year in the country;